

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या- 04/2020  
निर्णय दिनांक- 30.12.2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. माधुदान गोदपुत्र गंगादान 2. चण्डीदान गोदपुत्र गंगादान जाति चारण निवासी छोरड़िया तहसील रतनगढ़ 3. किशनदान पुत्र रेंवतदान जाति चारण निवासी भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.01.2020 को पेश किया गया था। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है-

1. यह है कि तहसील भोपालगढ़ के राजस्व ग्राम बासनी चोलावतां में खसरा नं. 197 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि माधुदान गोदपुत्र गंगादान, चण्डीदान गोदपुत्र गंगादान जाति चारण निवासी छोरड़िया तहसील रतनगढ़, किशनदान पुत्र रेंवतदान जाति चारण निवासी भोपालगढ़ के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण कृषि प्रयोजनार्थ बतौर खातेदार काबिज है।

2. यह है कि अप्रार्थीगण को उपर्युक्त भूमि पर केवल खातेदार अधिकार प्राप्त है जिसके अन्तर्गत खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करने, कृषि उपज एवं प्राकृतिक पैदावार प्राप्त करने का अधिकार होता है। परन्तु अप्रार्थीगण खातेदाराने खातेदारी शर्तों को भंग कर, कृषि भूमि खसरा नं. 197 के रकबा 03 बिस्वा 09 बिस्वासी में अवैध रूप से होटल बना रखी है। अप्रार्थीगण उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर होटल बनाकर कृषि भूमि नष्ट-भ्रष्ट कर रहा है। अप्रार्थीगण कृषि भूमि पर होटल बनाकर जो कृषि भूमि के लिये हानिप्रद है तथा अप्रार्थीगण खातेदाराने के इस कृत्य से काबिल कृषि भूमि नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगी।

पटवारी रिपोर्ट एवं मौके पर्चे के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 197 रकबा 11-02 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा होटल का संचालन करना पाया गया है और खातेदार द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि (अकृषि) उपयोग होना बताया गया है, मौके पर मौजूद मौतबिरानों से पूछताछ करने पर पाया कि होटल का संचालन अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है, साथ ही उपस्थित मौतबिरानों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्र में उक्त आराजियात खसरा नं. 197 पर होटल का संचालन होना बताया गया है, साथ ही खातेदारों की बेदखली करने के साथ भूमि को रकबा राज घोषित करने की अनुशंसा की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार भोपालगढ़ ने निवेदन किया। प्रार्थनापत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है:-

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)



1. नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थनापत्र की अतिरिक्त प्रतियां।

उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक 16.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गये। नोटिस तामिल होने के पश्चात् शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थनापत्र के विरुद्ध अप्रार्थीगण पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं मिला अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30.12.2020 को पेश करने का आदेश दिया गया। दिनांक 30.12.2020 तक भी अप्रार्थीगण पक्ष की ओर से कोई जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में न्यायालय निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है।

### आदेश

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है। भू-धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था, उससे असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नहीं किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है।

खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का उपयोग अवैध होटल का संचालन करने हेतु किया गया है। उक्त कार्य किसी भी प्रकार से अथवा दशा में कृषि (काश्तकारी) के लिये हितकर नहीं है। उक्त कार्य लम्बी समयावधि से किया जा रहा है, जो कृषि जोत हेतु योग्य भूमि के लिये अहितकर है। तहसीलदार भोपालगढ़ व पटवारी रिपोर्ट व मौका फर्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 197 के रकबा 03 बिस्वा 09 बिस्वासी भूमि पर अवैध रूप से होटल का संचालन करना पाया गया है।

अतः राजस्व ग्राम बासनी चोलावतां में खसरा नं. 197 रकबा 03 बिस्वा 09 बिस्वासी भूमि को बिलानाम घोषित किया जाता है। खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन(खातेदारी) को बिलानाम (रकबा राज) घोषित करने का आदेश जारी किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट 20 (बीस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को खुले इजलास में सुनाया गया।



A-1301/2020  
सुखाराम पिण्डेल  
जिलाधिकारी कलेक्टर  
(आर ए एस)  
भोपालगढ़ (जोधपुर)

**डिक्री वमुकददमे इब्दादाई**  
(आर्डर 20 रूल 6,7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत- न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़  
इजलास:- श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या- 04/2020  
निर्णय दिनांक- 30.12.2020

प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. माधुदान गोदपुत्र गंगादान 2. चण्डीदान गोदपुत्र गंगादान जाति चारण निवासी छोरड़िया तहसील रतनगढ़ 3. किशनदान पुत्र रेंवतदान जाति चारण निवासी भोपालगढ़

**राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। भू-धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था, उससे असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नहीं किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है। डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम वासनी चोलावता में खसरा नं. 197 रकबा 03 बिस्वा 09 बिस्वासी भूमि को बिलानाम घोषित किया जाता है। खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटा उक्त आराजियात को बिलानाम (रकबा राज) को घोषित किया जाता है। खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन खातेदारी को बिलानाम करने का आदेश जारी किया जाता है। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में डिक्री आज दिनांक 30.12.2020 को जारी की गई।

30/12/2020  
सुखाराम पिण्डेल  
एवं (आर.ए.एस) अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)

**वाद के खर्चे**

वादी	रूपये	आ.	पा.	प्रतिवादी	रूपये	आ.	पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	-	-	3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	-	-
4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	-	-	-	4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	-	-	-
5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	-	5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	-
6. कमिश्नर फीस	-	-	-	6. कमिश्नर फीस	-	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-	-	7. आदेशिका की तामील	-	-	-
योग	-	-	-		-	-	-

प्रतिलिपि:- तहसीलदार भोपालगढ़ को पालनार्थ।



30/12/2020  
सुखाराम पिण्डेल  
एवं (आर.ए.एस) अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)